



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042021-226781  
CG-DL-E-27042021-226781

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2021/वैशाख 7, 1943

No. 240]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2021/VAISAKHA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2021

संख्या 27/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 298(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (2) और (5) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20, के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 43/2020-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 2 दिसंबर, 2020, जिसे सा.का.नि. 748(अ) दिनांक 2 दिसंबर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फा. सं. 354/150/2020—टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th April, 2021

**No. 27/2021-Customs (ADD)**

**G.S.R. 298(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 43/2020-Customs (ADD), dated the 2<sup>nd</sup> December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 748 (E), dated the 2<sup>nd</sup> December, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/150/2020-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.